तारीख
जो हुक्म
जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ल संख्याः– 178/2018 निर्णय दिनांक :– 06.07.2022

उनवानी दावा :

1. प्रभूलाल पुत्र किशना जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. गलकू देवी पुत्री किशना जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. हीरा देवी पुत्री किशना जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज.
3. तीर्थ पुत्री पूरणमल जाति भाट निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. ताराचन्द पुत्र पूरणमल जाति भाट निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. संतरा देवी पत्नि कजोड जाति बागरिया निवासी सतवाडा (बालून्दा) तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री रामनिवास तुनगारिया — **पेरोकार सरकार**

अधिवक्ता वादी — **एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 ता 5**

<u>दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188, 209 आरटीएक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता किशना पुत्र भूरा रेगर सम्वत् 2022 से साबिक ख0नं0 1541/1 रकबा 6 बीघा पर कब्जा काश्त होने से मिशल नं0 332/1977 दिनांक 25.10.1977 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादीगण के पिता किशना को उक्त साबिक ख0नं0 1541/1 रकबा 6 बीघा भूमि ग्राम घाड को काश्त हेतु भूमि नियमन/आंवटन की गयी तथा भूमि का नियमन होने के बाद वादीगण के पिता ने फीस पट्टा जमा कराये जाने पर दिनांक 25.10.1977 को पट्टा दिया गया। भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता का पहले से ही चला आ रहा था। वादीगण के पिता को भूमि नियमन होने के बाद सेटलमेंट/बंदोबस्त कार्यवाही प्रारंभ हो गई तथा दौराने सेटलमेंट कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा काफी अनियमित्ताए की गई जिसके चलते खातेदारी की जमीनों का रकबा कम कर दिया गया भूमियों को अन्य की खातेदारी में लगा दिया गया तथा मौके की वस्तुस्थिति के अनुसार मिलान क्षेत्रफल भी नहीं बनाया गया। दौराने सेटलमेंट वादीगण के पिता की उक्त भूमि साबिक ख0नं0 1541/1 रकबा 6 बीघा के हाल

ख0नं0 2253 रकबा 1.45 है0 बनाते हुए वादीगण के पिता की नियमन शुदा कब्जा काश्त भूमि को प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 के पिता पूरणमल पुत्र सूरजमल भाट के नाम सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण इन्द्राज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि दौराने सेटलमेंट भी हाल ख0नं0 2253 रकबा 1.45 है0 बनाते हुए वादीगण के पिता किशना के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सेटलमेंट के दौरान वादीगण के पिता किशना की उक्त नियमन व काबिज काश्त भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 के पिता पूरणमल की खातेदारी में लगा दिया गया जबकि वादीगण के पिता के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। ग्राम घाड़ से अलग होकर नवीन राजस्व ग्राम दौलतपुरा बन जाने से उक्त भूमि ख0नं0 2253 रकबा 1.45 है0 के नये ख0नं0 1764 रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम घाड़ बन गये। वादीगण के पिता की उक्त भूमि प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 के पिता के नाम दर्ज होने पर और बाद में प्रतिवादी नं0 3 ता 4 के पिता की मृत्यु होने पर विरासत प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 एवं पूरणमल की पत्नि रूकमणी, रामकन्या को मिलकर नामान्तकरण होकर खाते में दर्ज हो गयी। इसी का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी नं0 4 व रूकमणी पत्नि पूरणमल ने दिनांक 1.06.2010 को उक्त भूमि नये ख0नं0 1764 रकबा 1.45 है0 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नं0 5 को विक्रय कर पंजीयन करा दिया जबकि उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा था और आज भी मौके पर उक्त सम्पूर्ण रकबा भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है व वादीगण से पूर्व इनके पिता का, मृत्यु होने से पहले कब्जा काश्त थे। वादीगण की उक्त भूमि सेटलमेंट में गलती से प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 के पिता के नाम इन्द्राज होने के बाद इनके नाम विरासत होने व विक्रय होने से प्रतिवादी नं0 5 उक्त भूमि ख0नं0 1764 रकबा 1.45 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया तथा जबरन आराजी से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा होकर भूमि को अन्य को हस्तान्तरण करने की धमकी दे रहे है। इस कारण प्रतिवादीगण नं0 3 ता 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि सेटलमेंट कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा गलत रूप से वादीगण के पिता की भूमि को प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 के पिता की खातेदारी में इन्द्राज/अंकन कर दिये जाने व विरासत से प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से व प्रतिवादीगण नं0 4 व रूकमणी पत्नि पूरणमल द्वारा बेईमानी पूर्वक प्रतिवादीगण नं0 5 को हिस्सा बेचान कर दिये जाने के कारण वादीगण अपना नाम उक्त भूमि में खातेदारी करवाने के अधिकारी है इस कारण यह वाद पत्र पेश है। वादीगण के पिता किशना की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण है तथा प्रतिवादी नं0 3 ता 4 के पिता पूरणमल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 व रूकमणी, रामकन्या है। जिनमें रूकमणी व रामकन्या की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान भी प्रतिवादीगण नं0 3 ता 4 ही है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुती से पूर्व दफा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है

ाद प्रस्तुति की अनुमति के लिए धारा 80 (2) सीपीसी का मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनाय दावा हाल ही उत्पन्न हुआ है जब प्रतिादीगण नं0 3 ता 5 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने से आराजी से बेदखल करने पर आमादा होने से तथा भूमि को अन्य रहन, दान, वसीयत आदि तरीके से हस्तान्तरण करने की धमकीयां देने से उत्पन्न हुआ है, जो लगातार जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से पेराकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 प्रभुलाल पुत्र किशना जाति रेगर उम्र 60 वर्ष निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0, पी. डब्ल्यू–2 बाबूलाल पुत्र रांमदेव जाति रेगर उम्र 48 वर्ष निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–3 हरदेव पुत्र ग्यारसा जाति रेगर उम्र 70 वर्ष निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 आवंटन पत्रावली 25.10.1977 संख्या 332 (5), प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046, प्रदर्श –3 हाल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2046–65 (4 पेज), प्रदर्श–5 भूप्रबंध व खसरा पत्रक, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2061–64, प्रदर्श–7 साबिक नक्शा ट्रेस बंदोबस्त सन् 1938–40 (2), प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत् 2073 से 76 तथा विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादीसाक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार के बहस में अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता वादी से बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्यतया वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता किशना पुत्र भूरा रेगर सम्वत 2022 में ख. नं0 1541/1 रकबा 6 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने से मिसल नम्बर 332/1977 दिनांक 25.10.1977 को आवंटित की गई। सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने बिना मौके की स्थिति देखे वादीगण की नियमन शुदा भूमि के हाल ख. नं. 2253 रकबा 1.45 है0 बनाते हुए प्रतिवादीगण नं. 3 ता 4 के पिता पूरणमल पुत्र सूरजमल भाट के नाम लगा दी जबकि वह वादीगण के पिता की खातेदारी में लगानी चाहिए थी। नवीन राजस्व ग्राम बनने से ख. नं 2253 रकबा 1.45 है0 से नये ख. नं.

64 रकबा 1.45 है0 बनाये गये। सूरजमल के मरने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने क्त भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 5 को बेचान कर दिया जबकि आज भी उक्त मि पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 का कब्जा अन्य स्थान पर है परन्तु वादीगण के नाम खातेदारी नहीं होने से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करने की धमकी देने लग गये है और शेष आराजी को बेचान करने पर आमादा है। इस कारण से वादीगण ने वाद पेश किया है । वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। वाद को साबित करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–1 के अनुसार दिनांक 25.10.1977 को वादी को साबिक ख. नं. 1541/1 में 6 बीघा भूमि का नियमन हुआ, जिसकी रिपोर्ट पटवार हल्का द्वारा की गई। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046 के अनुसार बाद भू–प्रबन्ध साबिक ख. नं. 1541 मिन 8 बीघा भूमि से हाल 2253 रकबा 1.45 है0 बनाये गये है जिसको वादीगण के अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 के पिता के नाम खातेदारी लगा दी और ग्राम घाड़ से नया राजस्व ग्राम दोलतपुरा बनाये जाने से ख. नं0 2253 रकबा 1.45 है0 से ख. नं. 1764 रकबा 1.45 है0 बने है जिसमें से प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 ने प्रतिवादीगण संख्या 5 को 1/2 हिस्से का विक्रय कर दिया जबकि वादीगण के अनुसार ख. नं. 1764 रकबा 1.45 है0 पर वादीगण का नियमन के समय से ही कब्जाकाश्त है। प्रदर्श–1 व 2 का गहन अध्ययन व विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आते है कि वादीगण को साबिक ख. नं. 1541/1 में 6 बीघा भूमि का नियमन हुआ था और साबिक ख. नं. 1541 मिन से ख. नं. 2246 रकबा 1.26 है0, ख. नं. 2253 रकबा 1.45 है0, ख. नं. 2256 रकबा 0.49 है0, ख. नं. 2257 रकबा 0.63 है0 बने है जबकि राजस्व अभिलेख से स्पष्टतोर पर उल्लेखित है कि ख. न. 1541 मिन 8 बीघा से ख. नं. 2253 रकबा 1.45 है0 बना है न कि ख. नं. 1541 मिन रकबा 6 बीघा से बना है। इसके अलावा साबिक ख. नं. 1541 मिन से उक्त उल्लेखित ख. नं. भी बने है। जमाबन्दी सम्वत 2031–34 में 1541/3 रकबा 8 बीघा पूरणमल पुत्र लक्ष्मीनारायण कोम भाट तथा 1541/2 भागचन्द पुत्र गिरधारी कोम भाट के नाम सा. देह खातेदारी दर्ज है जबकि इस जमाबन्दी में कही भी वादीगण के पिता किशना पुत्र भूरा रेगर का नाम दर्ज नहीं है। अतः वादीगण द्वारा मिलान क्षैत्रफल, साबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड से अपना दावा साबित नहीं करने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

न अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

लजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.............................

उनवानी दावा :

1. प्रभूलाल पुत्र किशना जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. गलकू देवी पुत्री किशना जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. हीरा देवी पुत्री किशना जाति रेगर निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज.
3. तीर्थ पुत्री पूरणमल जाति भाट निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. ताराचन्द पुत्र पूरणमल जाति भाट निवासी घाड तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. संतरा देवी पत्नि कजोड जाति बागरिया निवासी सतवाडा (बालून्दा) तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

– प्रतिवादीगण–

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 178 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादीगण द्वारा मिलान क्षैत्रफल, साबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड से अपना दावा साबित नहीं करने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....

...........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत		

वजह सबूत ाना वकील ं गवाहान कमिश्नर बत इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर टी करीकंन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए